कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
विद्युत वितरण खण्ड–शाहाबाद,हरदोई
Phone& Fax No: 05852-261000,
E-mail : eddshahabad.hardoi@gmail.com

पत्रांक: 14070 /वि0वि0ख0शा080/पी0एफ0 दिनांक : 24/1/2024

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के आदेश संख्या 469–चौदह/पाकालि/2015–16 के/2015 निदेशक (वितरण) दिनॉक 25.04.2015 एव पत्र संख्या 696–कार्य–चौदह/पाकालि/2015–16के/2015/निदेशक (वितरण) दिनॉक 29.06.2015 में प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में आपके निजी नलकूप पोर्टल आवेदन क्रमांक 1008362428 के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तो के आधार पर विद्युत भार एवं धनराशि जमा करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है

क्र0सं0	आवेदक का नाम व पता	आवेदन क्रमांक	स्वीकृत भार	श्रेणी	प्रयोजन	रशीद सं0/ दिनांक
1	श्री नर सिह पुत्र श्री शेर सिंह नि0 ग्राम व पो0 पचदेवरा वि0ख0 भरखनी, हरदोई।	1008362428	8 HP	LMV-5	निजी नलकूप	YIC42181951756/ 23.12.2023

उपरोक्त विद्युत भार की स्वीकृति तथा उसका अवमुक्त करना निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन है–

सामग्री का मूल्य	रु0	149412.00
मीटर की कीमत	रु0	2921.00
मीटर लेबर चार्जेज	रु0	2036.00
प्रतिभूति धनराशि	रु0	2400.00
जमा करने हेतु कुल धनराशि	रु0	156769.00

धनराशि शब्दों में– (एक लाख छप्पन हजार सात सौ उनहत्तर रूपये मात्र)

नियम व शर्ते–

1. विद्युत प्रणाली ओवरलोडेड होने के कारण इस बात की पूरी सम्भावना है कि इकाई की कुल विद्युत आपूर्ति के ब्रेकडाउन लोडशेडिंग तथा लो वोल्टेज की समस्याएं विद्यमान रहें।
2. इस आदेश के निर्गत होने से दो वर्ष की अवधि मे उपभोक्ता द्वारा ऊपरलिखित विद्युतभार उपभोग न करने की दशा में भी उक्त स्वीकृतभार स्वतः निरस्त मान लिया जायेगा।
3. यह स्वीकृति इस शर्त के साथ भी प्रतिबन्धित है कि उपभोक्ता को इस विद्युतभार के उपभोग के पूर्व उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण परिषद (यू0पी0 पायलूशनकन्ट्रोल बोर्ड) विभाग से सक्षम अधिकारी द्वारा लाइसेंस (यदि आवश्यक हो) भी प्राप्त कर इस कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
4. यदि उपभोक्ता के पक्ष मेंउक्त विद्युत भार पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है तो उस दशा में यह आदेश निरस्त माने जायेंगे।
5. उक्त संयोजन को विद्युत आपूर्ति कारपोरेशन के नियमों के अर्न्तगत की जायेगी, परन्तु प्रतिकूल परिस्थितियों में विद्युत प्रणाली की सुरक्षा हेतु समय–2 पर आवश्यकतानुसार रोस्टिंग तथा आपात कालीन रोस्टिंग की जा सकती है।
6. विद्युत आपूर्ति कारपोरेशन के लागूरेट शैडयूल मे निहित वोल्टेज पर ही दी जायेगी।
7. उक्त विद्युत भार किसी भी दशा में कारपोरेशन को किसी भी ट्रंक लाइन को टेप करके अवमुक्त नहीं किया जायेगा।
8. किसी भी दशा में शहरी पोषक को नगरपालिका/नगरमहापालिका/टाउन ऐरिया की सीमा से बाहर बढाकर विद्युतभार अवमुक्त नहीं किया जायेगा।
9. स्वतन्त्र पोषक द्वारा विद्युतभार अवमुक्त करने हेतु कारपोरेशन द्वारा समय–2 पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. यदि कालम 2 में उल्लिखित परिसर/इकाई पर अथवा उपभोक्ता के नाम से पहले कोई कनेक्शन रहा हो तो उक्त स्वीकृत भार तब तक नही विमुक्त (रिलीज) किया जायेगा, जब तक उस पुराने कनेक्सन अथवा उपभोक्ता के विरूद्ध बकाया कारपोरेशन में धनराशि (यदि कोई हो) का पूरा भुगतान न कर दिया जाये।
11. यदि उक्त इकाई/उपभोक्ता और परिषद के मध्य कोई न्यायायिक विवाद अथवा कोर्ट के सलम्बित हो तो उस दशा में भी विद्युतभार विमुक्त (रिलीज) नहीं किया जायेगा।
12. कारपोरेशन द्वारा निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात ही विद्युतभार विमुक्त किया जायेगा।
13. कोल्ड स्टोरेज के सम्बन्ध में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्‌देश्य से विद्युत आपूर्ति स्वतन्त्र पोषक (इन्डिपेन्डेन्ट फीडॅर) से की जायगी। इस हेतु नया स्वतन्त्र फीडर बनाना आवश्यक हो तो उसके निमार्ण के होने वाला व्यय स्वयं उपभोक्ता को वहन करना होगा।
14. विपरीत प्रणाली दशाओं/आपातकालीन रोस्टिंग अथवा विद्युत कटौती की स्थिति में आवश्यक विद्युत/मांग बनाये रखने के लिये उपभोक्ता को सदेश दिया जाता है कि उपयुक्त क्षमता का जनरेटिंग सेट लगा ले, जिसके लिये परिषद की पुर्वानुमति अलग से प्राप्त कर सकता हैं।

Scanned with CamScanner

अनुबन्ध हेतु आवश्यक प्रपत्र एवं कार्यवाही –

1. मीटर निरीक्षण शुल्क के रुप में शासकीय कोश में 043 विद्युत पर कर एवं शुल्क 102 भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत शुल्क रू0 500.00 जमा करना होगा।
2. ऊपर लिखी धनराशि जमा करने के पश्चात जमानत व सर्विस लाइन चार्जेज रूपये की रसीद की दो छायाप्रति प्रस्तुत करें।
3. 100.00 रू0 नॉनजुडिशियल जनरल स्टाम्प तथा एम 10 रू के निर्धारित हलफनामे पर एक–एक फोटो चसपाकर किसी राजपत्रित / ग्रामप्रधान / ब्लाकप्रमुख / सदस्यविधानसभा / लोकसभा द्वारा प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करें।
4. आवेदक के आधारकार्ड की एक छायाप्रति लावें, जिस पर फोटो लगाकर प्रमाणित करायें तथा पूरा नाम व पता एवं मोबाइल न0 लिखें।
5. कैपीशिटर खरीद की रशीद की छायाप्रति दो प्रतियों में।
6. यदि आपको ऊपर लिखी शर्ते मान्य हों तो आप कृपया किसी कार्य दिवस में 10 बजे से 01 बजे दोपहर तक किन्हीं दो गवाहों सहित इस कार्यालय में उपस्थित होकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करें।
7. आपको कनेक्शन हेतु लाइन व सबस्टेशन बनवाने हेतु............................मजदूरों की आवश्यकता होगी जिसकी व्यवस्था आपको स्वयं करनी होगी।
8. आपको अपने कनेक्शन के लिए स्वयं सम्बन्धित विद्युत भण्डार केन्द्र हरदोई से अपने वाहन द्वारा सामान की ढुलाई करनी होगी आपके साथ कारपोरेशन का चतुर श्रमिक / स्किल्डलेवर / जावेगा तथा आप द्वारा श्रमिकों की व्यवस्था करने पर शीघ्र ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
9. मोटर पर निर्धारित क्षमता का कैपीशिटर लगायें।
10. आपको अपना पम्पहाउस बनवाने हेतु आवश्यक ईंट, बालू तथा सीमेंट का प्रबन्ध करना पड़ेगा अतः उसी में से उपयुक्त वस्तुओं की आवश्यक मात्रा अपनी लाइन कनेक्शन हेतु भी देय होगी।

नोटः–

1. सीमेन्ट,बालू तथा मिट्टी की आवश्यकता केवल आखिरी खम्भे तक एंगिल पोल तथा स्टे के लिए होगी जिसकीमात्रा निम्नलिखित दर से होगी, प्रति खम्भा तक सीमेन्ट 0.85 बोरी, बालू 4.55 घनफिट, मिट्टी 910 घनफिट, सीमेंट 0.35 बोरी, बालू 1.85 घनफिट मिट्टी 3.77 घनफिट।
2. आपके कनेक्शन को बिजली तभी दी जायेगी जब आपकी वायरिंग पूरी होगी और बी0 एण्ड एल0 फार्म और मोटरडिक्लेरेशन फार्म (मोटर मुआयना के ट्रेजरी चालान सहित) इस कार्यालय में जमा करें।
3. यदि आप उपरोक्त शर्ते इस पत्र पाने के 90 दिन के अन्दर पूरी नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है और आपका आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जायेगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
4. कृपया ISI मार्का मोटरों व स्टार्टर का प्रयोग करें।
5. अन्तिम खम्बे से आपके परिसर तक जो केबिल लगेगा उसका मूल्य आपसे नहीं लिया गया है। जिसकी व्यवस्था आपको स्वयं करनी है।
6. लाइन निर्माण में कोई भी विवाद होगा तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
7. आवेदक द्वारा संयोजन स्थल पर कोठरी निर्माण के पश्चात ही संयोजन ऊर्जीकृत हो सकेगा।
8. उपरोक्त नियम व शर्तो में परिवर्तन होना सम्भावित है तथा संशोधन नियम शर्ते आपको मान्य होगी। जमायोजनान्तर्गत कनेक्शन लेने पर धनराशि जमा करने तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त वरीयता क्रमानुसार संयोजन दिया जायेगा।
9. आपके परिसर पर मीटर स्थापित होने के उपरान्त ही संयोजन निर्गत किया जायेगा। यदि बिना मीटर के कनेक्शन चलता पाया जायेगा तो आपके विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिए पूर्ण रूप से आप जिम्मेदार होंगे।

(विनोद कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांकः 1407 / वि0वि0ख0शा0ह0 / पी0एफ0 दिनांकः 24/11/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उपखण्ड अधिकारी प्रथम / द्वितीय / तृतीय, विद्युत वितरण उपखण्ड शाहाबाद / पिहानी / सवायजपुर, हरदोई।

(विनोद कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

Scanned with CamScanner